न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 08 / 2014

मेघाराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ — रेस्पोडेन्ट

॥अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम 1956॥

उपस्थिति :-

1- श्री गणेश गोदारा – अभिभाषक अपीलार्थी
2- स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 12.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 22.08.2014 जिसके द्वारा जैर अपील आदेश, खिलाफ कानून, रूहेदाद मिसल के इकतरफा तौर क्षैत्राधिकार से बाहर पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2014 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे।

2. रेस्पोडेन्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मेघाराम पुत्र रामलाल साकिन लिखमीसर उतरादा ने ग्राम बापेऊ के खसरा नम्बर 37 तादादी 2.91 हैक्टयेर किस्म भूमि गैर मुमकीन तलाई में से तादादी 2.00 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा कर मुंगफली काश्त की है। उक्त खसरा के पास अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 37 तादादी 2.91 हैक्टयर किस्म भूमि गैर मुमकीन तलाई में से तादादी 2.00 हैक्टयेर है। सही तरीके से सीमाज्ञान नहीं होने के कारण उक्त भूमि का काश्त कब्जा अपीलान्ट के पास है। अपीलान्ट एक शान्तिप्रिय है तथा सद्भाविक गरीब काश्तकार है। अपीलान्ट पूर्णतया खेती पर निर्भर है। अपीलान्ट की आजीविका का एकमात्र साधन खेती है। अपीलान्ट के गिरने से गंभीर चोट आने के कारण न्यायालय तहसीलदार

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

श्रीडूंगरगढ द्वारा आदेश दिनांक 22.8.14 को तामील पर नहीं हो सका। अपीलान्ट को इस बात का ज्ञान नहीं था कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा दिनांक 5.9.2014 को फसल कुर्की का आदेश दिया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही करके अपीलान्ट को प्लीडर के माध्यम से हाजिर जवाब नहीं देने का मौका न देकर उक्त तमाम बाते प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। अपीलान्ट आगामी समय में सीमाज्ञान करवाकर उक्त भूमि खसरा नंबर 37 का रकबा 2.00 हैक्टयेर पर नाजायज कब्जा पाया गया तो उक्त भूमि पर काश्त नहीं करेगां। राजस्व रिकार्ड में भी उक्त रकबा अपीलान्ट के दादा व पिता के नाम बराबर कब्जा काश्त में रहा है। अपीलान्ट उक्त रकबा का राज्य सरकार के नोटिफिकेशन व सरकुलर्स के मुताबिक हर तरह से नियमन कराने का अधिकारी है। उक्त रकबा अपीलान्ट के टिनेन्सी का रकबा है। उक्त रकबा पर अपीलान्ट को बतौर अतिक्रमी मानते हुए भी आदेश दिये गये वे काबिल इन्खलाय के है। खसरा नम्बर 31 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा पूर्व खसरा नंब 21/1 तादादी 8 बीघा 5 बिस्वा व 22/2 तादादी 3 बीघा 5 बिस्वा कुल 11 बीघा 10 बिस्वा से बने है। उक्त रकबा पूर्व में कभी जोहड़ पायतन का नहीं रहा। उक्त रकबा पुराने में रिकार्ड के टिनेन्सी का रकबा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2014 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का बापेऊ द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अपीलान्ट मेगाराम पुत्र रामलाल साकिन लिखमीसर उतरादा ने ग्राम बापेऊ के खसरा नंबर 37 तादादी 2.91 हैक्टयर किस्म भूमि गैर मुमकीन तलाई में से तादादी 2.00 हैक्टयर पर नाजायज कब्जा कर मूंगफली काश्त की है। अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। प्राप्त रिपोर्ट पर विधिवत् नोटिस जारी कर तलब किया गया लेकिन अपीलान्ट उपस्थित नहीं आने पर इकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली व शारित का आदेश पारित करते हुवे पटवारी हल्का/भू.अ.निरीक्षक को भौतिक रूप से आराजी भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन तलाई पर नाजायज मूंगफली काश्त करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अधीन पारित किये गये है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश कायम रखा जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

6. हमने उभय पक्ष को सुना व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा इस संबंध में विधिक प्रावधानों का भी अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बापेऊ दिनांक 22.08.14 को पी– 14 में संवत 2071 फसल खरीफ ग्राम बापेऊ के खसरा नम्बर 37 मीन की 2.00 हैक्टयेर भूमि गैर मुमकीन तलाई पर मूंगफली की काश्त मेघाराम पुत्र रामलाल जाट साकिन लिखमीसर उतरादा द्वारा की जानी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। जिस पर अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जेठाराम पुत्र मघाराम की उपस्थिति में आबाद मकान पर चस्पादंगी जरिये नोटिस तामील हुआ। गैर सायल की अनुपस्थिति में दिनांक 15.10.2014 को निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के आदेश फसल कुर्की के अन्तरिम आदेश दिनांक 22.8.2014 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। उक्त आदेश अन्तरिम आदेश की श्रेणी में आता है। अन्तिम आदेश या निर्णय नहीं है। अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner